न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या –664/18

रजबुन निशां–––बनाम––– हरिश्चन्द्र आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र 44 क 1

दिनांक–04.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 44 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र 44 क 1 मय शपथ पत्र प्रार्थी/वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी हरिश्चन्द्र के मृत्यु के संबंध में प्रार्थना पत्र कायम मुकामी दिनांक 20.11.2020 को दिया गया था जिसमें प्रतिवादी के तरफ से दिनांक 17.02.2021 को आपत्ति दाखिल किया गया था। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति में लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाने की बातो को कहा गया है। उपरोक्त के प्रकाश में कायम मुकामी प्रार्थना पत्र में संशोधन करने की याचना प्रार्थी/वादी द्वारा की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 44 क 1 प्रस्तुत कर कायम मुकामी प्रार्थना 41क 1 में संशोधन करना चाहता है। प्रस्तुत संशोधन से प्रार्थना पत्र 41क 1 के निस्तारण में सुगमता होगी। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 41क 1 पर की गयी आपत्ति के प्रकाश में प्रार्थी/वादी द्वारा उपरोक्त संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है जो औपचारिक प्रकृति की है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियो में प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं०–44 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 44 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादी कायम मुकामी प्रार्थना पत्र 41क 1 में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 41क 1 दिनांक 18.08.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2520

Digitally signed by Ajay Kumar Mishra
Date: 2021.08.06 12:24:12 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court